

प्रेस नोट

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक- अक्टूबर 05, 2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 163 वाहनों का चालान किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-57 व्यक्तियों का अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी मे चालान मा0 न्यायालय कर भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा आम जनमानस को पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

***आबकारी अधिनियम मे की गयी कार्यवाही* -**

थाना सोहगीबरवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सिकन्दर महतो पुत्र जयश्री नि0 मंदिर टोला थाना सोहगीबरवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 11/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त चन्दु चौहान पुत्र कैलाश नि0 पतरेंगवा थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के कब्जे से 08 शीशी नेपाली शराबब बरामद कर थाना थाना सोनौली पर मु0अ0सं0 107/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम मे पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त विष्णु प्रजापति पुत्र शिवशंकर नि0 पोखरभिण्डा थाना पुरंदरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 170/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता इन्दुरानी पत्नी मोहन प्रसाद नि0 कोमल चौराहा थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 230/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

लोक सम्पत्ति क्षति नि0 अधिनियम मे की गयी कार्यवाही

थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त बबलू पुत्र छोटेलाल नि0 पिपरा मौनी थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 255/21 धारा 3/5 लोक सम्पत्ति क्षति नि0 अधिनियम मे विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-19 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 04/05.10.2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 62 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।